छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

कमांक एफ–5–20/2017/10–2 अटल नगर, रायपुर,दिनांक 13/11/2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
अरण्य भवन, सेक्टर–19,
नार्थ ब्लॉक केपिटल कॉम्पलेक्स,
अटल नगर, जिला रायपुर,छत्तीसगढ़।

विषयः– आवेदनकर्ता महाप्रबंधक,रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत कोरबा से बताती तक आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 0.650 हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भः– 1.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दि. 8.4.09
2.भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दि. 5.2.09
3.विभागीय पत्र क्र.एफ–5–20/2017/10–2 रायपुर दिनांक 25.05.2017 ।
4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–653/3436 रायपुर दिनांक 30.11.2017 ।

———000———

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में सशर्त प्रथम चरण स्वीकृती जारी कि गई थी । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में उक्त प्रथम चरण स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर राज्य शासन से सामान्य अनुमोदन के तहत् औपचारिक अनुमति का अनुरोध किया गया है।

विषयांकित प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 4 में प्रदायित पालन प्रतिवेदन के आधार पर तथा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-/98/FC दि. 08.04.09 तथा पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दि. 05.02.09 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत कोरबा से बताती तक संरक्षित वनभूमि का 0.358 हे., आरेंज एरिया 0.114 हे. तथा राजस्व वन भूमि 0.178 हे. कुल 0.650 हे. वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु महाप्रबंधक,रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपचारिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 2.00 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व में सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके ।
6. उपरोक्त लाईन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान उपयोग पश्चात, उपयोग की गई भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु , वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान स्थानीय वनविभाग से पूर्वानुमति प्राप्त कर रखरखाव का कार्य करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा ।

Scanned by CamScanner

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट संबंधित भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna)के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त के उल्लंघन को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उपरोक्त शर्तो का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

13.11.18
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ–5–20/2017/10–2
अटल नगर, रायपुर, दिनांक 13/11/2018

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत बिलासपुर (छ.ग.)
3.वन मंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल कोरबा (छ.ग.)
4.आवेदनकर्ता महाप्रबंधक,रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड, चौथी मंजिल 401–405 अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा रायपुर छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13.11.18
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

o/c

Scanned by CamScanner